उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1982)

THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICAL INSTITUTIONS (ACQUISITION AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1982

(U.P. Act No. 18 of 1982)

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1982]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 7 अप्रैल, 1982 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 17 अप्रैल, 1982 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धती में शिक्षा देने वाली कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं का अर्जन और प्रबन्ध करने, ऐसी चिकित्सा पद्धती में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

चूंकि राज्य में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली अनेक चिकित्सा संस्थायें केवल धन लोलुपता के अभिप्राय से चलायी जा रही है ;

और चूंकि इन संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा अपेक्षित स्तर की नहीं है ;

और चूंकि इनमें से अधिकांश संस्थायें राज्य में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नही है और इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छा्त्रों का भाग्य अनिश्चित रहता है ;

और चूंकि ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसमें शिक्षा के स्तर और उपचार में सुधार करने की दृष्टि से कतिपय वर्तमान संस्थाओं का अर्जन करना और शेष संस्थाओं को बन्द करना आवश्यक है ;

और चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग्य चिकित्सा मे शिक्षा देने की विनियमित करना समीचीन है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982 कहा जायगा । **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

1– उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त मे देखें।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में ––

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है ;

(ख) "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति" का वही तात्पर्य होगा जो उसके लिये संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 मे दिया गया है ;

(ग) "अनुसूचित संस्था" का तात्पर्य अनुसूची मे विनिर्दिष्ट आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था के साथ–साथ उससे संलग्न या उसके संबंध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था के संबंध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी है ;

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के संबंध में, "सोसाइटी" का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है जिसमें ऐसी संस्था का स्वामित्व और उसके कार्य–कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो ।

अध्याय – दो

अनुसूचित संस्थाओं का अर्जन

अनुसूचित संस्थाओं को राज्य सरकार में निहित होना

3–(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था और उसके साथ ही ––

(क) ऐसी समस्त भूमि जिस पर ऐसी संस्था स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्सचर,

(ख) ऐसी संस्था का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधित्र, उपकरण, यंत्र, भेषज, औषधि, निर्माण–कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल, पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियाँ,

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान, बही–ऋण (बुकडेट) और ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसी संस्था के कार्य–कलाप के प्रबन्ध के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति, न्यासी, सोसाइटी या अन्य निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रहीं हो ;

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेगी और पूर्ण रूप से उसमें निहित होगी ओर ऐसी संस्था के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जायेगी और उपयोग में लायी जायेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और शास्ति के संबंध में प्रत्येक दान–विलेख, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार मे निहित हो गई है, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता, बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले अन्य भारों से मुक्त, और उन्मोचित हो जायगी, और ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली किसी न्यायालय या अधिकरण की प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध लम्बित या विद्यमान किसी कार्यवाही या वाद हेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।

अनुसूचित संस्थाओं का प्रशासन

4–(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार समय–समय पर निदेशित करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ––

(क) एक या अधिक अनुसूचित, संस्थाओं को बन्द कर दिया जायगा ;

(ख) ऐसी दो या अधिक संस्थाओं को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा ;

(ग) ऐसी एक या अधिक संस्थाओं के छात्रों को ऐसी किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित या आमेलित कर दिया जायगा ;

(घ) ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक संस्था से दूसरी संस्था में कर दिया जायगा ।

कब्जा देने का कर्त्तव्य

5–(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो, ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलक्टर या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल परिदत्त कर देगें, और कलक्टर या यथापूर्वोक्त ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जैसा आवश्यक हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से संबंधित कोई बही, कागज–पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उनका लेखा–जोखा, कलक्टर को या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में दिये गयें अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गई है, कब्जा लेने के लिये ऐसी समस्त कार्यवाही करे जो आवश्यक और विधिपूर्ण हो।

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

6–(1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था में या उसके कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित हो, नियत दिन से, राज्य सरकार का, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य

कर्मचारी हो जायेगा और अपना पद उसी कार्यावधि के लिये उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाय :

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति पूववर्ती परन्तुक के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित का हकदार होगा ––

(क) स्थायी कर्मचारी की स्थिति में तीन मास के वेतन के बराबर और किसी अन्य कर्मचारी की स्थिति में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि ; और

(ख) अन्य सुविधायें, यदि कोई हों, जो ऐसी संस्था मे उसकी विगत सेवाओं के कारण उसें प्राप्त होती यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा, और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित संस्था में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था में (अनुसूचित संस्था से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन करता है, तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते वह ऐसे पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करता हो ।

कतिपय नियुक्तियों आदि का पुनर्विलोकन

7–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गई वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिये राज्य सरकार किसी अधिकारी को नाम निर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्ति कर सकती है और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, कोई नियुक्ति या वेतनवृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की, यथास्थिति, सेवा

समाप्त कर सकती है या वेतन वृद्धि को रद्द कर सकती है, और ऐसी प्रत्येक सेवा समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के संबंध में जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिये की गई प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के दिन को और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाय और ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जिसे वह उचित समझे ;

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसर्मथन करने में त्रुटि नही करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी ––

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या राज्य सरकार के हितों के लिये हानिकर है, और

(ख) जब तक कि संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय ।

अध्याय – तीन

नई संस्थाएं खोलने और नये छात्रों को भर्ती करने का निषेध

नई संस्थाएं खोलने पर निर्बन्धन

8–धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् ––

(क) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति मे ंकिसी शिक्षण कार्य का भार लेने, या उसके संचालन, व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, न उसका संगठन अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा;

(ख) ऐसी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा ;

(ग) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के संबंध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) नहीं लेगा ;

(घ) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिये तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ।

छात्रों की भर्ती पर निबन्धन

9–आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धती में शिक्षण प्रदान करने वाली कोई चिकित्सा संस्था जो नियत दिन के पूर्व स्थापित हुई हो, नियत दिन को ऐसी संस्था में

नाम–निदेशित छात्रों को नियत दिन से पाँच वर्ष की अवधि में निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रोन्नति के रूप में भर्ती कर सकती है और उक्त पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् धारा 8 के उपबन्ध प्रत्येक संस्था पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में व्यावृत्ति

10–धारा 8 या धारा 9 की कोई बात आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा या योग चिकित्सा मे शिक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्प संख्यक के अपनी रूचि की किसी शिक्षा संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

धारा 8 और 9 के उल्लंघन के लिये शास्ति

11–धारा 8 और 9 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय–चार

प्राकृतिक और योग चिकित्सा मे शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थायें

प्राकृतिक और योग चिकित्सा से संबंधित संस्थाओं का विनियमन

12–(1) राज्य सरकार के लिए प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था की स्थापना, उसके अनुरक्षण, प्रबन्ध और कार्य को नियमों द्वारा विनियमित करना विधिपूर्ण होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा मे निर्दिष्ट नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् ––

(क) ऐसे नियमों के प्रारम्भ के दिनांक को प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण ;

(ख) ऐसी नई संस्थाओं खोलने या स्थापित करने के लिये जिसमें प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान किया जाना हो, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये उपबन्ध ;

(ग) ऐसी शर्तें और निबन्धन आरोपित करना जिन पर खण्ड (क) और (ख) मे निर्दिष्ट संस्थाओं को पूर्ववत् बने रहने की अनुमति दी जायगी ;

(घ) नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खण्ड (क) और (ख) मे निर्दिष्ट संस्थाओं का नियतकालिक निरीक्षण करने के लिए उपबन्ध ;

(ङ) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को खण्ड (क) और (ख) मे निर्दिष्ट संस्थाओं के प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना, विवरण–पत्र या विवरणियां ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, मांगने की शक्ति प्रदान करना ;

(च) उन व्यक्तियों पर जो ऐसे नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करें या तद्धीन जारी किये गये किसी विधिपूर्ण निदेश का अनुपालन करने में विफल रहें, शास्ति आरोपित करने के लिये उपबन्ध ।

अध्याय–पांच

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव होगा

13–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को किसी डिक्री या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

शास्ति

14–प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो ––

(क) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी संपत्ति या आस्ति को अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी संपत्ति या आस्ति को धारा 5 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार से दोषपूर्ण रीति से रोकता है, या

(ख) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिये धृत किसी संपत्ति या आस्ति पर सदोष कब्जा लेता है या बनाये रखता है, या

(ग) किसी अनुसूचित संस्था के संबंध में अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बही, कागज–पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) का उल्लंघन करते हुये जानबूझकर रोकता है या उनका लेखा–जोखा देने में विफल रहता है, या

(घ) किसी अनूसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी संपत्ति का सदोष उपयोग करता है, उसे हटाता है, या नष्ट करता है,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो तीन हजार रूपये हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कम्पनी द्वारा अपराध

15–(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्य–संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तद्नुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस अपराध की किसी बात से किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नही होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए पूर्णरूपेण सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहाँ ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण –– इस धारा के प्रयोजनों के लिये ––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

16–इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी ।

17–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुये भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये किसी लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा । अपराध का संज्ञान

18–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है । नियम बनाने की शक्ति

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

क्रम–संख्या	संस्थाओं के नाम
1–	आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी ।
2–	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया (इलाहाबाद) ।
3–	तक मिल–उत्तीब कालेज, लखनऊ ।
4–	यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

उद्देश्य और कारण

अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में शिक्षा का और भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षण का स्तर गिरा हुआ है। इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। ऐसी चिकित्सा पद्धति में उत्तम शिक्षा और उपचार की सुविधायें सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपर्युक्त संस्थाओं का प्रान्तीयकरण करना आवश्यक समझा गया।

गत कुछ वर्षों में भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली कई अन्य निजी संस्थायें स्थापित की गई है। इन संस्थाओं में शिक्षण की सुविधाओं और उपस्करों की अत्यधिक कमी है। ऐसी निम्न स्तर की संस्थायें न तो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई। बहुधा ऐसे परिवाद किये जाते हैं जिसमें राज्य सरकार से ऐसी निम्न स्तर की संस्थाओं के कार्यकलाप में हस्तक्षेप करने के लिये अनुरोध किया जाता है। ऐसी अप्राधिकृत संस्थायें वास्तव में चिकित्सा संबंधी शिक्षा देने के बजाय वाणिज्यिक आधार पर चलायी जाती है और इस प्रकार युवा छात्रों का गलत मार्गदर्शन करके उनका भविष्य नष्ट करती हैं। अतएव, भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये ऐसी अप्राधिकृत निम्न स्तर की संस्थाओं की अनियोजित वृद्धि पर रोक लगाना आवश्यक समझा गया। प्राकृतिक और योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था के स्थापन, अनुरक्षण और प्रबन्ध को भी विनियमित करना आवश्यक समझा गया।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पुरःस्थापित किया जाता है।